न्यायालय ए0एच0गौरी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त
उपनिवेशन, बीकानेर।

विविध रिव्यू सं0 4/2018
भाउखां पुत्र जमालखां जाति मुसलमान तेली निवासी गिराजसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1– अलीखां
2– सदीकखां } – पि0 जमालखां
3– मांगूखां
4– मु0 छोटी पत्नी अहमदखां
5– सिकन्दरखां पुत्र अहमदखां
6– जुसुफखां
7– सुभानखां } – माता बिस्मिला पुत्री जमालखां जाति मुसलमान तेली
8– दिलावरदीनखां साकिन गिराजसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
9– लाल मोहम्मद
10– राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत

– अप्रार्थीगण

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 361 दिनांक 28–02–1987 ग्राम गिराजसर जिसकी रूह से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 9 की भूमि का गलत खाता विभाजन किया गया को निरस्त करने व अपील मंजूर करने।

अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 114 एंव आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता।

उपस्थिति अभिभाषक :–
1. श्री रामचंद्रसिंह भाटी, अभिभाषक, प्रार्थी।
2. श्री मेध सिंह भाटी, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 ता 9
3. पेरोकार राज राज्य की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 2–04–2018

यह रिव्यू प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 एंव धारा 114 एंव आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता के अधीन न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.02.2018 अपील संख्या 21/17 अनुवानी भाउखां बनाम अली खां वगैरह में पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत किया गया।

रिव्यू प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित न्यायालय हाजा का मूल रिकार्ड तलब किया जाकर मांगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 से 9 की ओर से श्री मेधसिंह भाटी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आये।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता रिव्यू प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र में दर्शाये गये तथ्यों एंव अपील मीमो के तथ्यों को दोहराया गया तथा यह ध्यान मे लाया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत गैर खातेदारों के खाता विभाजन माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे द्वारा रेफरेंस सं0 11/95/बीकानेर मे दिनांक 25.1.96 को पारित निर्णय में गैर खातेदारों को धारा 53 के अंतर्गत विभाजन कराने का हकदार नही मानते हुए यह मत प्रतिपादित किया कि धारा 53 के अंतर्गत विभाजन कराने का हकदार केवल खातेदार

काश्तकार को ही हैं।

2 हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं
पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। अदालतवाला के निर्णय दिनांक 27.
2.18 की विवेचना के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरणकरण स0 361 दिनांक 28.2.87
को खारिज किया गया है। परन्तु पैरा स011 मे अपीलाधीन नामान्तरण के स्थान पर
अपील शब्द लिपिकीय भूलवश टंकित होना पाया जाता है।

अतःबाद विवेचना विचार कर रिव्यू प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील
3 स0 21/17 में निर्णय दिनांक 27.2.18 पर पुर्नविचार करते हुए अपील के स्थान पर
अपीलाधीन नामान्तरणकरण स0 361 दिनांक 28.02.87 ग्राम गिराजसर निरस्त किया
जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक **2–04–2018** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर